

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी-3/1, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया,
राजमहल पैलेस के पीछे, जयपुर-302005

क्रमांक : एफ.1(3)()स्था/सान्याअवि/21/43157 जयपुर, दिनांक:- 30-09-21

आदेश

विभाग में निम्नांकित कार्मिक मंत्रालयिक सेवा में कार्यरत है, को अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष पूर्ण कर लेने पर उनके नाम के सामने अंकित दिनांक से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पद नाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	अति० प्रशासनिक अधिकारी	25.08.1962	31.08.2022
2.	श्री पूनाराम मेहरा	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	05.07.1962	31.07.2022
3.	श्री मूल चन्द मीना	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	06.04.1962	30.04.2022
4.	श्री ओम प्रकाश बोयल	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	10.01.1962	31.01.2022
5.	श्री कैलाश चन्द मौर्य	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	06.09.1962	30.09.2022
6.	श्री रामस्वरूप टिकर	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	07.08.1962	31.08.2022
7.	श्रीमति लीला शर्मा	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	22.01.1962	31.01.2022
8.	श्री देवानन्द टेलर	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	05.07.1962	31.07.2022
9.	श्री राजीव कुमार सक्सेना	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	25.03.1962	31.03.2022
10.	सुश्री अपर्णा चौधरी	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	30.10.62	31.10.2022
11.	श्री चन्द्र प्रकाश गुप्ता	वरिष्ठ सहायक	10.10.1962	31.10.2022
12.	श्री विक्रम कुमार	वरिष्ठ सहायक	15.06.1962	30.06.2022
13.	श्री विनोद कुमार मेहरा	कनिष्ठ सहायक	14.06.1962	30.06.2022

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित कर्मिकों के विरुद्ध आज तक क्रम संख्या 3, 11 एवं 13 को छोड़कर शेष अन्य किसी कार्मिक के विरुद्ध वर्तमान में निम्नानुसार कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन विभागीय ज्ञापन जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

4. क्रम संख्या 3 पर अंकित श्री मूलचन्द मीना, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध सीसीए नियम-16 के अन्तर्गत ज्ञापन क्रमांक 3779 दिनांक 11.11.2010 विचाराधीन है।
5. क्रम संख्या 11 पर अंकित श्री चन्द्र प्रकाश गुप्ता, वरिष्ठ सहायक के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में दर्ज अपराध संख्या 132/02 में विभागीय पत्रांक 1395 दिनांक 31.10.2003 अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई है।
6. क्रम संख्या 13 पर अंकित श्री विनोद कुमार मेहरा, कनिष्ठ सहायक के विरुद्ध पुलिस में दर्ज अपराध संख्या 122/16 में विभागीय पत्रांक 241 दिनांक 06.03.2018 द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी की गई तथा वर्तमान में श्री मेहरा के विरुद्ध सीसीए नियम-16 के अन्तर्गत ज्ञापन क्रमांक 4367 दिनांक 01.02.2011 व ज्ञापन क्रमांक 1805 दिनांक 21.12.2016 विचाराधीन है।

31
(ओ.पी.बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ.1(3)()स्था/सान्याअवि/21/43158-206जयपुर, दिनांक:- 30-09-21

प्रतियां सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित :

1. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
5. उप निदेशक/सहायक निदेशक.....।
6. श्री/श्रीमती.....।
7. निजी पत्रावली श्री/श्रीमती.....।
8. जॉच/ए.सी.आर./डी.पी.सी./ऑडिट/पेन्शन, प्रशाखा प्रभारी, मुख्यावास।
9. कार्यालय आदेश पत्रावली

8
अति. निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन)